

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक:प.1(क)(44)का/आर.एम.एस./डी.एल.बी./15/ 9765

दिनांक : 28-7-17

आदेश

प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 2017 को दोपहर 12.00 बजे जिला कलक्ट्रेट सभागार, सीकर में सीकर जिले निकायों में विभाग के अन्तर्गत चल रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा की जायेगी।

इस बैठक में निकायों के नियमित कार्यों की समीक्षा के साथ-साथ निम्न बिन्दुओं पर भी समीक्षा की जावेगी :-

- 01- Sewerage Status
- 02- Strom Water Drainage
- 03- स्वच्छ भारत मिशन (SBM)
- 04- एन.यू.एल.एम. (N.U.L.M.)
- 05- Heritage Conservation
- 06- Solid Waste Management
- 07- AMRUT
- 08- Conservation of Water Bodies
- 09- Any Other

बैठक में सीकर जिले की निकायों के समस्त आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी समस्त सूचनाओं के साथ उपस्थित रहेंगे।

बैठक में जिला कलेक्टर, सीकर, परियोजना निदेशक आर.यू.आई.डी.पी., प्रमुख शासन सचिव, निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, कार्यकारी निदेशक, आर.यू.आई.एफ.डी.सी.ओ., मुख्य अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, वरिष्ठ नगर नियोजक, संयुक्त निदेशक (एन.यू.एल.एम.), अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत), निदेशालय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

इस बैठक का समन्वय उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर द्वारा किया जावेगा।

सो/—
(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव
दिनांक : 28-7-17

क्रमांक:प.1(क)(44)का/आर.एम.एस./डी.एल.बी./15/ 9766-79

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. जिला कलक्टर, सीकर।
04. परियोजना निदेशक, आर.यू.आई.डी.पी., जयपुर।
05. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
06. कार्यकारी निदेशक, आर.यू.आई.एफ.डी.सी.ओ., जयपुर।
07. मुख्य अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, वरिष्ठ नगर नियोजक, संयुक्त निदेशक (एन.यू.एल.एम.) अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत) निदेशालय।
08. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं उक्त बैठक के सम्बन्ध में आवश्यक तैयारियां एवं समन्वय किया जाना सुनिश्चित करें।
09. आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी नगर परिषद/पालिका, सीकर जिले की उक्त बैठक में उपस्थिति वांछनीय है।
10. सुरक्षित पत्रावली।

—
(मुकेश कुमार मीणा)
अतिरिक्त निदेशक